

**बिहार सरकार**  
**शिक्षा विभाग।**

**अधिसूचना**

संख्या :- 7/नि० 3-02/06 - 429

पटना, दिनांक 22/06/12

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 तथा बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 की कं. 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के निर्णयानुसार शिक्षक नियोजन नियमावली, 2012 के क्रम में शिक्षक नियोजन से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेशों, निदेशों एवं परिपत्रों को निम्न हद तक संशोधित करते हुए बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 एवं बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2012-13 में शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया के संबंध में निम्नांकित मार्गनिदेश दिये जाते हैं :-

**(मार्गनिदेश)**

1- नियोजन हेतु समय तालिका :- राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2012-13 में शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई निम्नलिखित समय तालिका के अनुसार की जायेगी :-

|       |  |                                       |
|-------|--|---------------------------------------|
| (i)   | जिला द्वारा नियोजन इकाईवार रिक्त पदों एवं आवश्यक अतिरिक्त पदों की गणना-                      | दिनांक 30.06.2012 तक                  |
| (ii)  | जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों का राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम- | दिनांक 06-07-2012                     |
| (iii) | नियोजन से जुड़े कमियों का जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम-                       | दिनांक 09-07-2012 से<br>15-07-2012 तक |
| (iv)  | जिला द्वारा रोस्टर का अनुमोदन एवं नियोजन इकाईयों को प्रेषण-                                  | दिनांक 21-07-2012 तक                  |
| (v)   | सभी नियोजन इकाईयों द्वारा नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन-                                      | दिनांक 30-07-2012                     |
| (vi)  | आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि-   | दिनांक 01-08-2012 से<br>30-08-2012 तक |
| (vii) | मेधा सूची की तैयारी-   | दिनांक 01-09-2012 से<br>15-09-2012 तक |

|        |   |                                       |
|--------|---|---------------------------------------|
| (viii) | मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन -                    | दिनांक 20-09-2012 तक                  |
| (ix)   | मेधा सूची का प्रकाशन  | दिनांक 22-09-2012                     |
| (x)    | मेधा सूची पर आपत्ति-  | दिनांक 24-09-2012 से<br>09-10-2012 तक |
| (xi)   | आपत्तियों का निराकरण-   | दिनांक 13-10-2012 तक                  |
| (xii)  | मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन-                                   | दिनांक 16-10-2012                     |
| (xiii) | मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान/जाँच - | दिनांक 17-10-2012 से<br>31-10-2012 तक |
| (xiv)  | जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखण्ड के मेधा सूची का अनुमोदन -      | दिनांक 10-11-2012 तक                  |
| (xv)   | नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण -                 | दिनांक 16-11-2012 तक                  |
| (xvi)  | नियोजन इकाई द्वारा नियोजन पत्र निर्गत करना -                  | दिनांक 21-11-2012 से<br>23-11-2012    |

2- नियोजन हेतु शिक्षक पदों की गणना एवं वितरण :- नियोजन हेतु शिक्षक पदों की गणना प्राथमिक कक्षाओं (वर्ग I से V) के लिए अलग तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (वर्ग VI से VIII) के लिए अलग की जायेगी। प्राथमिक कक्षाओं के लिए निम्नांकित तीन विषयों के शिक्षक पद के नियोजन हेतु शैक्षिक योग्यता निम्नवत होगी :-

(क) सामान्य विषय के शिक्षक - (शैक्षिक योग्यता - इन्टरमीडियट)

(ख) उर्दू भाषा के शिक्षक - (शैक्षिक योग्यता - बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मौलवी अथवा उर्दू योग्यताधारी अभ्यर्थी - 100 अंकों के उर्दू में इन्टरमीडियट उत्तीर्ण)

(ग) बांग्ला भाषा के शिक्षक - (शैक्षिक योग्यता - इन्टर में 100 अंकों का बांग्ला विषय में उत्तीर्ण)

इसी प्रकार उच्च प्राथमिक कक्षाओं (मध्य विद्यालय) के लिए आवश्यकतानुसार निम्नांकित विषयों के पद पर शिक्षकों के नियोजन हेतु शैक्षिक योग्यता निम्नवत होगी :-

(क) स्नातक गणित एवं विज्ञान के शिक्षक  
शैक्षिक योग्यता :-

(i) गणित - गणित, भौतिकी, रसायन

(ii) विज्ञान - रसायन, जीव विज्ञान

